रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1982/फाल्गुन 1, 1903
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1982/PHALGUNA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1982

का० नि० आ० 36.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा विज्ञान सेवा नियम, 1967 में जहां तक इनका संबंध कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और रक्षा उत्पादन विभाग (उत्पादन और निरीक्षण (नौसेना) निदेशालय) (ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" तकनीकी राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1976 जहां तक इनका संबंध कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों से केवल उन चीजों जिनको इस अधिक्रमण के पहले किया जाना था को छोड़कर पहले की जा चुकी है या छूटा दी गई है, का अतिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के अन्तर्गत निरीक्षण महा-निदेशालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं; अर्थात्.—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये नियम निरीक्षण महानिदेशालय (डी० जी० आई०) संगठन (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1982 कहे जा सकेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान —पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कालम 6 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

4 प्रारंभिक गठन.—(1) (क) (i) —रक्षा विज्ञान सेवा के सभी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों, कनिष्ठ तकनीकी (विजाइन) अधिकारियों और कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को जिन्हें इस ग्रेड में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों पर इन नियमों को लागू होने से पहले नियमित रूप से नियुक्त किया गया था/किया गया है और जो निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में काम कर रहे हैं, का इन नियमों के अंतर्गत कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के रूप में भर्ती किया गया समझा जाएगा।

(ii) रक्षा विज्ञान सेवा के सभी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों, कनिष्ठ तकनीकी (डिजाइन) अधिकारियों और कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को जिन्हें इस ग्रेड में विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर इन नियमों के लागू होने से पहले पदोन्नति किया गया था/किया गया है और जो निरीक्षण महानिदेशालय में काम कर रहे हैं उन्हें कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर इन नियमों के अंतर्गत इस संगठन में भर्ती किया गया समझा जाएगा ।

(ख) रक्षा विज्ञान सेवा का कोई भी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जो इन नियमों के लागू होने की तारीख को अनुसंधान और विकास संगठन या तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (वायु) के किसी भी कार्यालय या संस्थापना में काम कर रहा था, को निरीक्षण महानिदेशालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के अंदर निरीक्षण महानिदेशालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में रहने का विकल्प नहीं दे देता और जब तक उसे इस पद पर नियुक्ति के लिए उप नियम (2) में वर्णित अर्हताओं के आधार पर योग्य नहीं पाया जाता ।

(2) रक्षा विज्ञान सेवा के उन कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (वायु) में काम कर रहे हैं, निरीक्षण महानिदेशालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय जांच समिति करेगी जिसका गठन इस प्रकार होगा :—

(क) रक्षा मंत्रालय का संबंधित संयुक्त सचिव	—अध्यक्ष
(ख) निरीक्षण महानिदेशक	—सदस्य
(ग) निदेशक प्रशासन	—सदस्य
(घ) संबंधित तकनीकी निदेशक या इसकी अनुपस्थिति में इसके स्तर का इसी शाखा का अधिकारी जिसे महानिदेशक निरीक्षण मनोनीत करेगा ।	—सदस्य

स्पष्टीकरण . अध्यक्ष के अलावा किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति जांच समिति की कार्रवाई को आमान्य नहीं ठहरा सकती ।

3(क) जिन कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को जांच समिति द्वारा फिट पाया जाएगा उनको निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में उपलब्ध रिक्तियों के स्थान पर उस ग्रेड में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा और उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनको उस तारीख को रक्षा विज्ञान सेवा में दी जाएगी ।

(ख) ऐसे कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को जिनको रिक्तियों के अभाव में खपाया नहीं जा सकेगा वे उस समय तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) में सेवा करते रहेंगे जब तक कि निरीक्षण महानिदेशालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के ग्रेड में उनको खपाने के लिए नियमित रिक्तियां, उपलब्ध न हो जाएं और इन अधिकारियों को संवर्ग के प्रारम्भिक गठन की तारीख से नियुक्त किया हुआ समझा जाएगा ।

टिप्पणी :—उपनियम (1) और (2) में उल्लिखित उन अधिकारियों की निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में नियुक्ति से पूर्व उप नियम (1) और (2) में वर्णित अधिकारियों ने अपने ग्रेडों में जो सतत नियमित सेवा की हो उसकी गणना पदोन्नति, स्थायीकरण और पेंशन के लिए की जाएगी ।

(4) इस नियम के उप नियम (1) के अनुच्छेद (क) में उल्लिखित कोई भी अधिकारी जो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में निरीक्षण महानिदेशालय में आने की अनिच्छा प्रकट करता है उसको इन नियमों के अंतर्गत उसके द्वारा धारित पद पर काम करने दिया जाए और उसको इन नियमों की परिधि से तब तक बाहर समझा जाए जब तक वह अपने पहले वाले पद पर बना रहता है । ऐसे अधिकारियों की संगठन में किसी भी पदोन्नति या स्थायीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(5) आगे भर्ती :—जहां तक निरीक्षण महानिदेशालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों की प्राधिकृत नियमित क्षमता है उसको यदि प्रारंभिक संगठन के समय पूरा नहीं करा जाता तो बाद में उसको नियम 3 के अनुसार भरा जाएगा ।

(6) भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायित्व :—इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्ति इन बातों के के लिए उत्तरदायी होंगे :—

(क) भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायित्व

(ख) महानिदेशक निरीक्षण द्वारा अनुमोदित जांच, देशीकरण और किस्म नियंत्रण कार्य या अन्य कोई कार्य संबंधित फील्ड सेवा (भूमि पर सेवा/सैनिक विमानों से यात्रा या नौसेना पोतों आदि से यात्रा सहित) ।

(ग) निरीक्षण महानिदेशक के निर्णयानुसार भारत या विदेश में समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षण और अनुदेश पाठयक्रमों में सम्मिलित होना । यदि किसी अधिकारी को ऐसे प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता है जिसकी अवधि 6 महीने या उससे अधिक है या किसी अधिकारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है या निजी प्रतिष्ठानों या फैक्टरियों में भेजा जाता है उनको प्रशिक्षण अवधि को परवाह किए बगैर प्रशिक्षण पर किए गए खर्च को वापस करना होगा । यदि वह किसी भी कारण से प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 3 वर्ष के अंदर सेवा में न रहने का निर्णय करता है ।

7. निरर्हताएं .—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ।

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

9. प्रतिबंध :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य नियमों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	188	रक्षा सेवाओं में सिविलियन "ख" राजपत्रित गैर-लिपिकीय	650-30-740-35-810 द०रो० 35-880-40-1200 रुपये	प्रवरण	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी :—आयुसीमा को निर्धारित करने के लिए प्रमाणिक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्रों की प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी। (अण्डमान और निकोबार द्वीपों तथा लक्षद्वीप के सब शामिल क्षेत्रों को छोड़कर)	आवश्यक : (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष या इंजीनियरी धातु विज्ञान/नौसेना वास्तुशिल्प में उपाधि। टिप्पणी :—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी तकनीकी विषय या उसके समकक्ष उपाधि (अन्यथा सुयोग्य अर्हता वाले अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से अर्हताओं में छूट) ऐच्छिक :—संबंधित शाखा के उत्पादन विकास/किस्म नियंत्रण क्षेत्र में अनुभव। टिप्पणी :—सभी-सही अर्हताओं, अनुभव आदि को प्रत्येक भर्ती के अवसर पर स्पष्ट किया जाएगा।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परीवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या अंतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अंतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अंतरण किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : फोरमैन/वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/वरिष्ठ तकनीकी सहायक/मुख्य ड्राफ्टसमैन जिन्होंने अपने ग्रेड में नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।	ग्रुप "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें अध्यक्ष रक्षा मंत्रालय का संबंधित संयुक्त सचिव तथा सदस्य निदेशक प्रशासन और निदेशक तकनीक होंगे। टिप्पणी :—विभागीय प्रोन्नति समिति की सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के पुष्टिकरण की कार्रवाई को आयोग के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यदि आयोग इनका किसी वजह से अनुमोदन न करे तब विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य करेगा के संरक्षण में दोबारा बुलाई जाए।	सीधी भर्ती करते समय और इन नियमों के प्रावधानों में संशोधन/छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

[सं० ए०/94243/डी०जी०आई० (एडमिन-6)]

डी० एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

New Delhi, the 2nd February, 1982

S.R.O. 36 :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Science Service Rules, 1967, in so far as these relate to the grade of JSOs and the Department of Defence Production [Directorate of Production and Inspection (Naval)] (Group 'A' and Group 'B' Technical Gazetted posts) Recruitment Rules, 1976, in so far as they relate to the post of Junior Technical Officers, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Scientific Officer in the Directorate General of Inspection, under the Ministry of Defence (Department of Defence Production), namely :—

1. Short title and commencement—(i) These rules may be called the Directorate General of Inspection (DGI) Organisation (Junior Scientific Officer) Recruitment Rules, 1982.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay—The number of the said post, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 6 to 13 of the said Schedule.

4. Initial Constitution—(1) (a) (i) All Junior Scientific Officers in the Defence Science Service, Junior Technical Officers (Design) and Junior Technical Officers who are or were regularly appointed to the grade against the posts advertised by the Union Public Service Commission prior to the date of commencement of these rules and are working in the Directorate General of Inspection Organisation, shall be deemed to have been appointed as Junior Scientific Officers under these rules.

(ii) All Junior Scientific Officers in the Defence Science Service, Junior Technical Officers (Design) and Junior Technical Officers who are or were promoted to the grade on the basis of the recommendations made by the Departmental Promotion Committee prior to the date of commencement of these rules and are working in the Directorate General of Inspection Organisation shall be deemed to have been appointed to the post of Junior Scientific Officers in the Directorate General of Inspection Organisation under these rules.

(b) Any Junior Scientific Officer in the Defence Science Service who is or was working on the date of commencement of these rules in any of the offices or establishment, under the Research and Development Organisation or the Directorate of Technical Development and Production (Air) shall not be appointed to the post of Junior Scientific Officer in the Directorate General of Inspection unless he within three months from the date of publication of these rules opts for absorption as Junior Scientific Officer in the Directorate General of Inspection and is found fit for appointment thereto in the manner specified in sub-rule (2).

(2) The suitability for appointment to the post of Junior Scientific Officer in DGI in the case of Defence Science Service Officers serving in Defence Research and Development Organisation and Directorate of Technical Development and Production (Air) who opt for Directorate General of Inspection shall be determined by a Screening Committee constituted as under :—

(a) Joint Secretary concerned in the Ministry of Defence	Chairman
(b) Director General of Inspection	Member
(c) Director of Administration	Member
(d) Technical Director concerned or in his absence an officer of appropriate status in the discipline concerned to be nominated by the Director General of Inspection	Member

Explanation : The absence of any member other than the Chairman shall not invalidate the proceedings of the Screening Committee.

(3) (a) The Junior Scientific Officers who are found fit by the Screening Committee shall be appointed as Junior Scientific Officers in Directorate General of Inspection Organisation on regular basis from the date of commencement of these rules against the available vacancies in that grade and shall retain their inter-seniority as assigned to them in the Defence Science Service on that date.

(b) Such of the Junior Scientific Officers who cannot be so absorbed for want of vacancies shall continue to serve with the Defence Research and Development Organisation or the Directorate of Technical Development and Production (Air) till such time as regular vacancies in the grade of Junior Scientific Officers become available in Directorate General of Inspection Organisation for their absorption and such officers shall be deemed to have been appointed at the initial constitution of the Cadre.

Note : The regular continuous service of officers mentioned in sub-rules (1) and (2) in their respective grades prior to their appointment to the Directorate General of Inspection Organisation shall count for the purposes of qualifying service for confirmation and pension.

(4) Any officer referred to in Clause (a) of sub-rule (1) who does not desire to be absorbed as Junior Scientific Officer in Directorate General of Inspection Organisation under these rules, may continue to hold the post held by him and the post so held by him shall be deemed to have been excluded from the purview of these rules, so long as he continues to hold it.

Such officer shall not be considered for any further promotion or confirmation in the Organisation.

5. Further Recruitment—To the extent, the authorised regular strength of Junior Scientific Officers in the Directorate General of Inspection Organisation is not filled at the time of initial constitution, it shall be filled in accordance with rule 3.

6. Liability to serve any where in India or abroad.—Persons appointed in accordance with these rules shall be liable to—

(a) serve anywhere in India or abroad;

(b) field service (including service on land/travel by service aircraft or Naval ship etc.) in respect of investigation indigenisation and Quality Assurance work or such other work which may be approved by the Director General of Inspection;

(c) undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Director General of Inspection may decide from time to time. An officer detailed for training of courses, the duration of which is 6 months or more or an officer detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, will be liable to refund in full the cost of training if, for any reason, during the training or within a period of 3 years after completion of such training, he chooses to discontinue to be in service.

7. Disqualification : No person, —

(a) who has entered into or contracted a marrige with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

8. Power to relax—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consulation with the UPSC relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Junior Scientific Officer	188	Civilian in Defence Services Group 'B' Gazetted Non-ministerial	Rs.650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1200	Selection	30 years (Relaxable for Government servants upto 5years.) Note : The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (other than those in Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : At least second class Master's degree in Science of a recognised University or equivalent or degree in Engineering/Metallurgy Naval Architecture/any other technical subjects of a recognised University or equivalent. Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). Desirable : Experience in production/development/quality assurance areas of the discipline concerned. Note : The exact qualifications, experience etc. will be specified at the time of recruitment on each occasion.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, transfer grades from which promotion to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment. Note : The promotion shall be discipline-wise	Promotion : Foreman/Senior Scientific Assistants/Senior Technical Assistants/Chief Draughtsman with 3 years' service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis	Group 'B' D.P.C. consisting of Jt Secretary concerned in Min. of Defence—Chairman. Director of Administration DGI Orgn—Member Technical Director concerned in DGI Orgn—Member. Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation of direct recruits shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of DPC presided over by the Chairman or Member of the UPSC shall be held.	Consultation with the UPSC necessary while making direct recruitment and amending/relaxing of the provisions of these rules.

[No. A/94243/DGI (Adm-6)]
D.M.L. MALHOTRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1982

का० नि० आ० 37.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 48 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 281 तारीख 12 अगस्त, 1960 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में—

(1) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. निदेशक, प्रशासन	नौसेना मुख्यालय	भारत में या भारतीय मिशनों से संबद्ध और विदेशी पदों पर सेवारत सिविलियन राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी ।"

(2) क्रम संख्यांक 5 की मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिणी नौसेना	दक्षिणी नौसेना कमान	सिविलियन राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी ।"

[एन० एच० क्यू केस सं० एन० एल० 621 एम, एफ]
एस० एन० भार्गव, उप-सचिव

New Delhi, the 5th February, 1982

S.R.O. 37 In pursuance of sub-rule (1) of rule 48 of Order XXI of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908;, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. S.R.O. 281, dated the 12th August, 1960, namely :—

In the Table to the said notification—

(i) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituedd , namely :—

"4. Director of Administration	Naval Headquarters	Civilian gazetted and non-gazetted officers whether serving in India or attached to Indian Missions and posts abroad.'

(ii) for item (iii) of serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(iii) Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command	Southern Naval Command	Civilian gazetted and non-gazetted officers."

[NHQ Case No. NL/6213 (MF)]
S. N. BHARGAVA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1982

का० नि० आ० 38.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मेजर आर० के आनंद का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड अम्बाला में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फाइल संख्या 19/15/सी०/एल० एण्ड सी०/65/886 सी०/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

New Delhi, the 10th February, 1982

S.R.O. 38.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Ambala by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major R K. Anand.

[File No. 19/15/C/L&C/65|8861C D(Q&C]

का० नि० आ० 39—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा ले० क० जी० एस० विर्क को छावनी बोर्ड अम्बाला का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर आर० के० आनंद के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ।

[फाइल संख्या 19/15/सी०/एल० एण्ड सी०/65/886/1/सी०/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 39.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. G.S. Virk has been nominated by the Officer Commanding of the Station, as member of Cantonment Board Ambala vice Major R K. Anand who has resigned.

[File No. 19/15/C/L&C/65|886|1|C|D(Q&C)]

का० नि० आ० 40—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री एम० सी० यादव कार्यकारी मजिस्ट्रेट के त्याग पत्र को स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, फैजाबाद की सदस्यता में एक रिक्ति हो गई है ।

[फाइल संख्या 19/25/सी/एल० एण्ड सी०/65/895-सी०/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 40.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Faizabad by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri M. C. Yadav Executive Magistrate.

[File No. 19/25/C/L&C/65|895-C|D(Q&C)]

का० नि० आ० 41.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद द्वारा इस अधिनियम की धारा 13 (4) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री श्रीपत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, श्री (एम० सी० यादव कार्यकारी मजिस्ट्रेट के स्थान पर जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, छावनी बोर्ड फैजाबाद का सदस्य मनोनीत किया है ।

[फाइल संख्या 19/25/सी०/एल० एण्ड सी०/65/895/1-सी०/डी० (क्यू० एम० सी०)]

S.R.O. 41.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri Sripat Executive Magistrate has been nominated as a member of the Cantonment Board Faizabad by the District Magistrate Faizabad in exercise of the powers conferred under Section 13(4)(b) of that Act vice Shri M. C. Yadav Executive Magistrate resigned.

[File No. 19/25/C/L&C/65|1-C|D(Q&C)]

का० नि० आ० 42.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मेजर के० के० कटारिया का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड शाहजहांपुर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है ।

[फाइल संख्या 19/30/सी०/एल० एण्ड सी०/65/896-सी०/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 42.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Shahjahanpur by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major K. K. Kataria.

[File No. 19/30/C/L&C/65|896-C|D(Q&C)]

का० नि० आ० 43.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा ले० क० डी० सर्वाधिकारी को छावनी बोर्ड शाहजहांपुर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर के० के० कटारिया के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ।

[फाइल संख्या 19/30/सी०/एल० एण्ड सी०/65/896/1-सी०/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

रामनाथ, अवर सचिव

S.R.O. 43.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. D. Sarbadhikary has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board Shahjahanpur vice Major K. K. Kataria who has resigned.

[File No. 19|30|C|L&C|65|896|1-C|D(Q&C)]

RAM NATH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982